सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 270/2016

बउनवान

रमेशचन्द्र पुत्र लटूरलाल जाति धाकड़ निवासी केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार कवाई जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1706 दिनांक 27.7.2015 वाके ग्राम मोठपुर तहसील अटरू अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 29.12.2016

अपील अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 1706 दिनांक 27.7.2015 वाके ग्राम मोठपुर तहसील अटरू से अप्रसन्न होकर, अपील नामान्तरकरण अन्तर्गत धारा, 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाके माल ग्राम मोठपुर के खसरा नम्बर 1613 क्षेत्रफल 1.22 है0 में से 0.48 है0 अपीलांट ने विक्रेता मथुरालाल, मदनलाल पुत्र गोरीलाल जाति कंधीघर निवासी केरवालिया तहसील अटरू से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 20.05.2015 को खरीद की थी। जिसका नामान्तरकरण खुलवाने के लिये प्रार्थी द्वारा आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1706 दिनांक 03.06.2015 को खोलते हुए आदेश हेतु अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई के यहां पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तहकीकात किये उक्त नामान्तरकरण खारिज फरमा दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण किस आधार पर खारिज किया है इस हेतु कोई आदेश आलेखित नहीं किया है इस कारण उक्त आदेश काबिल खारिज है। आदेश दिनांक 27.07.2015 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 16.07.2016 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुयी इसके बाद अपीलान्ट ने दिनांक 19.07.2016 को आवेदन पेश कर नकल प्राप्त की। जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः निवेदन है कि नायब तहसीलदार कवाई का आदेश दिनांक 27.07.2015 को निरस्त फरमाया जाकर आराजी वाके मोठपुर के खसरा नम्बर 1613 क्षेत्रफल 1.22 है0 में से 0.48 है0 के बाबत आदेश व स्वीकृति प्रदान फरमायी जावे।

अपील पेश होने पर दिनांक 10.08.2016 को दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेन्ट को एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तरकरण संख्या 1706 दिनांक 27.07.2015 की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट बोनाफाईड परचेजर है जिसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.05.2015 से ग्राम मोठपुर की आराजी खसरा नम्बर 1613 क्षेत्रफल 1.22 है0 में से 0.48 है0 क्रय की है जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न है। अतः निवेदन है कि नायब तहसीलदार कवाई के आदेश दिनांक 27.07.2015 को निरस्त फरमाया जाकर आराजी वाके मोठपुर के खसरा नम्बर 1613 क्षेत्रफल 1.22 है0 में से 0.48 है0 भूमि का नामान्तरकरण बहैसियत क्रेता अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत करने के आदेश फरमाये जावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा जिस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.05.2015 द्वारा ग्राम मोठपुर की आराजी खसरा नम्बर 1613 क्षेत्रफल 1.22 है0 में से 0.48 है0 क्रय की है उसी पर पृष्ठांकित धारा 54 के प्रमाण पत्र में स्पष्ट अंकित है कि भूमि बैंक एस.बी.बी.जे. शाखा अटरू के रहन दर्ज है। बैंक रहन दर्ज होने पर भूमि हस्तान्तरित नहीं की जा सकती। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2016 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर, बारां